बंदी की अपील

क्रमांक **9761** नाम **छेरका उर्फ़ मोहन**

पिता का नाम - **जैता साहू** निवासी- **लगरदा थाना - बिलाईगढ़ तह- बलौदाबाजार जिला - रायपुर (म.प्र.)** उम्र **65 वर्ष**

दंडादेश **आजीवन कारावास** दिनांक – **04.04.1989**

अंतर्गत **धारा 302, भारतीय दंड सहिंता** द्वारा **न्यायालय- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर , कैम्प -बलौदाबाजार**

बंदी को यह समझा दिया गया है कि यदि वह यह कहता है या उसकी इच्छा है कि उसका प्रतिनिधित्व कोई विधि व्यवसायी करें, तो अपीलिय न्यायालय प्रकरण में सात दिन तक कोई कार्यवाही नहीं करेगा जब तक विधि व्यवसायी उपस्थित न हो। यदि विधि व्यवसायी सात दिन के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे आगे नहीं सुना जाएगा। यदि बंदी यह कहता है या उसकी इच्छा नहीं है कि उसका प्रतिनिधित्व कोई विधि व्यवसायी करें, तो न्यायालय प्रकरण में आगे कार्यवाही करेगा और उपस्थित होने वाले उस विधि व्यवसायी को सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. निर्णय की प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक **04.04.1989**
2. प्रतिलिपि करने का दिनांक **05.04.1989**
3. दिनांक जब अपील भेजी गयी **01.06.1989**
4. क्या कैदी कोई प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहता है - हाँ / ना

.....

क्रमांक **9761** नाम **छेरका उर्फ़ मोहन आत्मज जैता साहू**

निरंतर केंद्रीय जेल जेल **रायपुर (म.प्र.)**

क्रमांक 471/अष्टकोण/89 दिनांक **01.06.1989**

माननीय अतिरिक्त पंजीयक महोदय उच्च न्यायलय मध्यप्रदेश, जबलपुर (म.प्र) को सक्षम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने हेतु प्रकरण में पारित निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रेषित।

सही/-

अधीक्षक

केंद्रीय जेल, रायपुर (म.प्र.)

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यालय में प्राप्ति दिनांक .....

अभिलेख प्राप्त करने का दिनांक .....

वास्ते अपील ज्ञापन के साथ संलग्न किए जाने हेतु .....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ..... को प्रेषित

अपीलीय न्यायालय में प्राप्ति की तिथि **.....**

<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़– बिलासपुर

दांडिक अपील कमांक 762/1989

छेरका उर्फ मोहन

बनाम

छत्तीसगढ राज्य

कोरमः माननीय न्यायमुर्ति श्री फखरुद्दीन एवं

माननीय न्यायमुर्ति श्री दिलीप देशमुख

श्री सुर्यकांत मिश्रा, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी

श्री सचिन सिंह राजपुत, पेनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से

निर्णय

द्वारा न्यायमुर्ति फखरुद्दीन

पक्षकारों के अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण किया गया ।

2. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है। एवं तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर केम्प बलौदाबाजार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04 अप्रैल 1989 के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

3. संक्षप में तथ्य इस प्रकार है कि अपिलार्थी गांव नगरदा का निवासी है एवं वह मंगली बाई का रिश्तेदार था। वह एक वर्ष बाद मंगली बाई के घर आया उसने मंगली बाई से अपनी बेटी के विवाह के लिए 500 रू. की आर्थिक मदद मांगी ।

मंगली बाई ने उसे ठहरने की अनुमति दी । जब वह घर में रह रहा था, तब मंगली बाई ने एक रमेश अग्रवाल को 60 बोरी धान बेचा। उसके बाद अभियुक्त यह कह कर घर से चला गया कि वह अपने घर जा रहा है, लेकिन बुधवार की शाम को वह वापस आया, जब मंगली बाई अपनी बेटी के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में भाग लेने के लिए घर से बाहर गई थी । उस समय मंगली बाई का बेटा पीला राम उर्फ अवधराम और उसकी दादी बिंदामती बाई घर पर मौजूद थे। उसके बाद गुरूवार को पीलाराम भी मृतिका बृंदामती और अपीलार्थी को घर में छोडकर विवाह में भाग लेने चला गया । जब पीलाराम 26.02.1989 को घर वापस आया और दरवाजा खटखटाया, तो दरवाजा नहीं खोला गया, तब वह पडोसी के घर से घर में प्रवेश किया और देखा की उसकी दादी चारपाई पर मृत पडी थी। उसकी चीख पुकार पर गांव के लोग वहां इकठठा हो गये । यह देखा गया कि सोने के आभूषण जिसे पीपल पान कहते है, चांदी के बरतन एवं नगद रूपये गायब थे मृतिका के तकिये के नीचे रखा टार्च भी चोरी हो गया था। रिपोर्ट दर्ज कराई गयी एवं उस रिपोर्ट में अभियुक्त पर शंका व्यक्त की गई । 28.02.1989 को अभियुक्त को निलकंठ आरा मिल के पास गांव मिसदा में पकडा गया और उसके पास से सोने का पीपलपान, चांदी का चैन जिसमें 15 सिक्के मौजूद थे, एक चांदी का सकरी, एक चांदी का गुठला एवं 294 रू. की धन राशि अभियुक्त/अपीलार्थी से जप्त की गई । आगे के विवेचना मे, अभियुक्त के मेमोरेन्डम कथन के आधार पर एक थैला जिसमें साडी, टार्च, फुलकंद का लोटा, थाली, दो फुलकंद की ठाकुरलीया थे, दयाराम साहू के घर से जप्त किया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी के बताने पर एक जोडी चांदी का नांगमोढी और एक जोडी चांदी का कथर गवाह चंद्रिका प्रसाद के मौजुदगी के जप्त किया गया धन राशि 200 रू. गवाह पूरन प्रसाद से जप्त किया गया।

4. चिकित्सक सी.एल पटेल, अ.सा.8 के द्वारा दिनांक 26.02.1988 को शव परीक्षण किया गया एवं राय दी गई थी मृत्यु गला दबाने से मानववध प्रकृति की थी। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी/11 है। जप्त किए गए सामग्रियों को पहचान के लिए रखा गया, जिसे मंगली बाई अ.सा.11 के द्वारा पहचान किया गया। विवेचना पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के द्वारा दोषी होने से इंकार किया गया एवं झूठा फंसाये जाने का कथन किया गया ।

5. माननीय विचारण न्यायालय के द्वारा साक्ष्य पर विचार कर एवं उपलब्ध सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया एवं उसे धारा 302 भा.द.वि. के तहत दोष सिद्ध किया गया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. श्री मिश्रा, अपीलार्थी के तरफ से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा आगे तर्क किया की यदि संपत्ति के जप्ती को स्वीकार किया जाये, तो पर भी यह केवल धारा 411 भा.द.वि. का ही प्रकरण बनता है।

7. श्री राजपुत, राज्य के ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने इसके विपरीत तर्क दिया की अपीलार्थी के द्वारा हत्या की गई है एवं उसे धारा 302 भा.द.वि. के तहत सही रूप से दोषी पाया गया है।

8. हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण किया एवं अभिलेख को बारीकी से देखा।

9. इस प्रकरण में बिंदामती बाई की मृत्यु मानववध प्रकृति की है इस पर पक्षकारो के अधिवक्ताओं के द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया। इसके अलावा भी यह शव परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर साबित हुआ है। चिकित्सक सी.एस पटेल (अ.स. 11) जिन्होने शव परीक्षण किया है, के साक्ष्य के अनुसार मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। इस तरह से यह पाया जाता है कि बिंदामती बाई की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थी के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजुद है। एक परिस्थिति यह है कि मंगली बाई अ.स. 11 ने कथन किया है कि अभियुक्त उसका चचेरा भाई, बडी मां का पुत्र है। उसने आगे कथन किया है कि अभियुक्त उसके घर आया था एवं पुत्री के विवाह करने के नाम पर 500 रू. की मांग की थी । उस दिन, एक प्रकाश सेठ नाम का व्यक्ति घर आया था जिसे उसने 60 बोरा धान बेचा था। अभियुक्त के द्वारा बोरे में धान भरने एवं वजन करने में उसकी मदद की गई थी। उसके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त 9 साल के बाद घर आया था एवं वहां 3 – 4 दिन रूका था एवं वह मंगलवार को यह कह कर लौट गया था कि वह अपने गांव जा रहा है। उसकी उपस्थिति के दौरान यह वार्तालाप हुआ की मंगली बाई को विवाह समारोह में भाग लेने के लिए उनके रिश्तेदार के यहां ग्राम रिकोतार जाना था। उसने यह भी कथन किया था बुधवार की सुबह वह अपनी पुत्री के साथ विवाह में भाग लेने रिकोतार गांव गयी थी। उसने आगे कथन किया है कि उसकी सांस बिंदामती बाई एवं उसके पुत्र पीलाराम घर पर ही रूके थे एवं पीलाराम को भी बारात में जाना था। रिकोतार गांव में उसे सूचना दी गई की उसकी सांस चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। वह अपने घर वापस आयी और अपने सास को मृत अवस्था में पायी। वह यह भी देखी की

उसकी सास के शरीर के आभूषण, जो वह पहने हुई थी, उसके शरीर पर मौजूद नहीं थे। घर में मौजूद अन्य सामान भी गायब थे। उसकी सास के तकिये के नीचे रखा टार्च भी गायब था। उसके द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। उसके द्वारा कथन किया गया है कि तीन तरह के आभूषण मिश्रित किये गये है जिसमें से उसने अपने आभूषण की पहचान, पहचान परेड के दौरान की थी। उसने सामान की पहचान न्यायालय में भी किया था। उसने अपने कथन की कंडिका 6 में कहां है कि सोने का पीपर पटटी जिससे उसके सास के द्वारा पहना गया था जो की आर्टिकल – ए है, एक जोडी नांगमोडी एवं एक जोडी कथर जो की आर्टिकल – बी व सी है, एक चांदी का सकरी (आर्टिकल डी), एक चांदी का सिक्का (आर्टिकल ई), चांदी का गठला (आर्टिकल एफ), लोटा (आर्टिकल डी), चांदी का चैन (आर्टिकल एच) एवं टार्च (आर्टिकल आई) भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं उसके द्वारा उनकी पहचान की गई। बचाव पक्ष के द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस पर भरेासा किया गया। हमारे द्वारा भी इस पर विचार किया गया है। यहां तक संपत्ति की पहचान की बात है, इसे सही तरीके से पहचान किया गया एवं यह वही संपत्ति है जिसे अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. हमने अ.सा. 15 टिकेश्वर सिंह, नायब तहसीलदार, के साक्ष्य का इनके द्वारा पहचान करवाई गई, का भी अवलोकन किया है । उनके प्रतिपरीक्षण में साक्ष्य को खंडन करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। उनके द्वारा इस सुझाव से इंकार किया गया है। की पुलिस के द्वारा सीलबंद किये बिना आभूषण दिये गये थे। जहां तक वस्तुओं के मिलने का सवाल है, अ.सा. 6 झूलनबाई ने यह कथन किया की अभियुक्त उसके घर शुक्रवार को आया था एवं कुछ देर बैठने के बाद वह अपना झोला रखकर चला गया। उसके द्वारा एक नागमोरी और कथर उसे रखने के लिए यह कह कर दिया था कि यह आभूषण उसकी पत्नि के है। इसके पश्चात् उसने यह आभूषण चंद्रिका प्रसाद के घर पर भी रखा था जिसने उसे रूपये 1300 दिये थे। इस धन राशी को उसके द्वारा अभियुक्त को दिया गया था। अगले दिन वह पुलिस के साथ आया था एवं झोला को पुलिस को दिया गया था। जहां तक झोला की जप्ती का सवाल है, यह पूर्ण रूप से साबित होता है। जहां तक सामानों का सवाल है इनकी जप्ती अभियुक्त को पकडने के बाद की गई थी। अ.सा. 14 जे.एस. ध्रुव एक अन्य साक्षी है जिन्होंने यह कथन किया है कि सामानो की जप्ती अभियुक्त से की गई थी जब से आरा मिल के पास गिरफतार किया गया था। अ.सा. 4 निलकंठ यह वह गवाह है जिसने कथन किया

है कि उसकी उपस्थिति में मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया गया था एवं जप्ती की गई थी। जप्ती के समय, इस सामानो के जप्त किया गया था। प्रदर्श पी–1 मेमोरेण्डम कथन है एवं प्रदर्श पी 2 से पी 5 जप्ती पत्रक है जिसे अ.सा. 4 के द्वारा प्रमाणित किया गया है। अभियुक्त यह बताने में असमर्थ रहा है कि कैसे यह सामग्री उसके कब्जे में आयी। अविवादित रूप से, इस सामानो की पहचान की गई है। एवं यह भी अविवादित है कि अभियुक्त ने किसी भी सामान पर अपना दावा नहीं किया है।

12. विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि किसने मृतिका को आयी चोटे कारित की है। जिससे की अपीलार्थी के विरूद्ध अपराध सिद्ध हो सके। अभियोजन ने विभिन्न साक्ष्यों का परीक्षण करवाया है।

13. हमने अ.सा. 3 पीला राम की गवाही भी देखी, जो मंगलीबाई का पुत्र है। उसने बताया कि उसकी मां विवाह समारोह में गई थी, और वह और उसकी दादी घर पर थे। बाद में वह भी विवाह में चला गया और दादी तथा आरोपी को घर पर छोड गया। इस परिस्थिति पर ट्रायल कोर्ट ने भरोसा किया है। हमारे विचार में यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है। यह आरोपी ही था जिसे पैसों की जरूरत थी और मंगलीबाई से 500 रू. मांगे थे और उसीकी उपस्थिति में 60 बोरेधान बेचे गए थे। आरोपी ने बोरे भरने और तौलने में मदद की थी। इसके बाद आरोपी यह कहकर घर से गया कि वह जा रहा है, लेकिन वह तब लौटा जब मंगलीबाई और उनकी बेटी विवाह समारोह में चली गई थी। पीलाराम की गवाही है कि जब वह घर से निकला, तब बिंदामती बाई और आरोपी घर में थे। जब बिंदामती बाई की मृत्यु हुई, तब आरेापी फरार था और आरा मित्र के पास पकडा गया था। उसके पास मंगलीबाई और मृतका की वस्तुएं पायी गयी थी। कुछ जब्त किए गए गहने मृतिका द्वारा पहने जाते थे। अगले ही दिन झोला और वस्तुएं बरामद की गई। ये बरामदगी और जब्ती पूरी तरह सिद्ध है। यह भी सिद्ध है कि वे वस्तुएं मृतका और मंगली बाई की थी। रिकार्ड से यह भी साबित हुआ कि आरोपी को पैसों की जरूरत थी और उसने मंगलीबाई से 500 रू. मांगे थे। पीलाराम की गवाही से यह भी सिद्ध हेाता है कि मृतिका और आरोपी को आखिरी बार एक साथ देखा गया था।

14. प्रश्न यह है कि क्या जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए है, वे दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। यह स्थापित सिद्धांत है कि जहां साक्ष्य केंवल परिस्थितिजन्य प्रकृति के है। हमें जानकारी है की जिन तथ्यो एवं परिस्थितियों से दोष सिद्धी किया जाना है को संदेह से परे पूर्ण रूप से स्थापित होना चाहिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और वे न केवल आरेापी के दोष के साथ संगत होने चाहिए। बल्कि उनका प्रभाव अभियुक्त के निदोषता के साथ असंगत भी होना चाहिये और उसके निर्दोषता के अनुरूप हर यथोचित परिकल्पना के परे होना चाहिये।

15. न्यायाधीश का इराभद्रपता विरूद्ध कर्नाटक राजपुत जो कि ए.आई.आर 1983 सुप्रीम कोर्ट 446 में प्रकाशित किया गया है जिसमें अभियुक्त हत्या करने के एक साल बाद पकडा गया था एवं उसके तुरंत बाद उससे सामान की जप्ती हुई थी और उनकी पहचान हुई थी। इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 13 में यह व्यवस्था दी है कि –

> "यह एक ऐसा मामला है जहाँ हत्या और डकैती को एक ही घटना के अभिन्न अंग के रूप में सिद्ध किया गया है, और इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 की व्याख्या (a) के तहत यह **अवधारणा की जाती है** कि न केवल अभियुक्त ने मृतक की हत्या की, बल्कि उसने उसकी सोने की आभूषणों की डकैती भी की, जो उसी घटना का हिस्सा हैं। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त को अपराध के साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। 22 मार्च 1979 की सुबह, जब यह पता चला कि मृतक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और उसकी सोने की आभूषणों को लूट लिया गया था, तब अभियुक्त का **अ.सा.** 3 के घर से अचानक गायब होना, और यह तथ्य कि वह 29 मार्च 1980 तक होसाहल्ली गाँव में **अ.सा.**26 द्वारा पकड़े जाने तक एक वर्ष से अधिक समय तक फरार था, साथ ही यह तथ्य कि उसने अपनी गिरफ्तारी के तुरंत बाद बयान **प्रदर्श पी** -35 दिया, जिससे चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी हुई, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त अकेला और कोई नहीं, मृतक की हत्या और उसकी सोने की आभूषणों की डकैती का दोषी था। अभियुक्त ने चोरी की गई संपत्ति के अपने कब्जे के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके विपरीत, उसने यह नकारा किया कि चोरी की गई संपत्ति उससे बरामद हुई थी। झूठा इनकार अपने आप में एक आरोपणीय परिस्थिति है। धारा 114 की व्याख्या (a) के तहत **अवधारणा** प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं हो सकती कि कब्जा हाल का है या नहीं, और प्रत्येक मामले का मूल्यांकन अपनी तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह प्रश्न कि हाल के कब्जे से क्या तात्पर्य है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चोरी की गई वस्तु हाथ से हाथ में आसानी से नहीं बदलने वाली है या नहीं। यदि चोरी की गई वस्तुएं ऐसी थीं जो आसानी से हाथ से हाथ में नहीं बदल सकती थीं, तो एक वर्ष की अवधि को लंबा नहीं कहा जा सकता,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विशेष रूप से जब अभियुक्त उस अवधि के दौरान फरार था। उसकी गिरफ्तारी और चोरी की संपत्ति की बरामदगी के बीच कोई समय अंतराल नहीं था।"

16. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में हमने संपूर्ण प्रकरण पर विचार किया है। जप्ती 2 दिन के अंतराल में की गई है और जिसे प्रमाणित भी किया गया है। उसके तुरंत बाद अभियुक्त ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जिस पर इन परिस्थितियों में हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय में कोई निर्बलता नहीं है।

17 अपील असफल होती है एवं इस तरह से खरीज होती है।

18 अंत करने से पहले, हम पक्षकारेां के अधिवक्ताओं के द्वारा दी गई सहायता की प्रशंसा करते है।

सही/–
फखरुद्दीन
न्यायमूर्ति
14.6.2005

सही/–
दीलिप रावसाहेब देशमुख
न्यायमूर्ति
14.6.2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दीजाएगी।

Translated By :- **Kishore Narayan, Advocate**